

लोक-सुनवाई का वृत्त

मेसर्स संजय कुमार, नया बाजार, जिला- लखीसराय द्वारा किउल नदी स्थित मौजा- नोनगढ़, रेत ब्लॉक संख्या- 09 (कुल क्षेत्रफल- 12.7 हेक्टेयर), प्रखंड+थाना- चानन, जिला- लखीसराय में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक-सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०- एरा. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 24.05.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे ई-किसान भवन, चानन ब्लॉक परिसर, जिला- लखीसराय के प्रांगण में लोक-सुनवाई की गयी।

यह लोक-सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 पत्र संख्या- SIA/1(a)/ 2290/2023, दिनांक 14.02.2023 के आलोक में श्री सुधांशु शेखर, अपर समाहर्ता एवं अपर दंडाधिकारी, लखीसराय की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पत्र द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा- "द टाइम्स ऑफ इंडिया", "हिन्दुस्तान टाइम्स" एवं "दैनिक जागरण" के माध्यम से दिनांक 21.04.2023 को प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस.पी.राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पत्र, बरौनी, बेगूसराय के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक-सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतिश कुमार ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि-

1. यह बालू खनन पट्टा किउल नदी स्थित मौजा- नोनगढ़, रेत ब्लॉक संख्या- 09 (कुल क्षेत्रफल- 12.7 हेक्टेयर), प्रखंड+थाना- चानन, जिला- लखीसराय में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री संजय कुमार को इस खनन पट्टा के लिए वैधान्तिक स्वीकृत्यादेश (LOI) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक संख्या-09 में प्रतिवर्ष 1,57,734 टन प्रतिवर्ष बालू का उत्खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹12.31 करोड़ (निलामी लागत सहित) अनुमानित है।
2. बालू खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए हैं।

dr

3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
4. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
5. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
6. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
7. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे- मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
8. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
9. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
10. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतू प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देता खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

22

44

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपरिथत लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं-

क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री राम प्रसाद सिंह, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम- रामपुर, प्रखण्ड- चानन, लखीसराय के द्वारा प्रस्तावित खनन क्षेत्र रैयती जमीन पर होने से किसानों को क्या लाभ होगा।	रैयती जमीन में खनन क्षेत्र होने पर किसानों से सहमति प्राप्त कर ही खनन का कार्य किया जाएगा तथा उन्हें मुआवजा की राशि का भुगतान भी किया जाएगा।
2.	श्री छोडु सिंह, पिता- श्री विरेन्द्र सिंह, ग्राम- बड़ा रामपुर, प्रखण्ड- चानन, लखीसराय के द्वारा बालू खनन से जो रेत उड़ेगा, वह खेतों में जमा होगा तथा इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होगी। इसके रोकथाम की जानकारी मांगी गई।	गाड़ियों के लिए वैकल्पिक रास्ते का चयन किया जाएगा। रास्तों पर तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। साथ ही बालू का ढुलाई तिरपाल से ढक कर किया जाएगा जिसे धूलकणों का उत्सर्जन न्यूनतम किया जा सकेगा।
3.	श्री गुलशन कुमार, पिता- श्री राम प्रसाद सिंह, ग्राम- बड़ा रामपुर, प्रखण्ड- चानन, लखीसराय के द्वारा बालू खनन के क्रिया-कलाप से परिवहन से स्कूल को होने वाली परेशानी की समस्या को हल करने के लिए की जाने वाली व्यवस्था की जानकारी मांग की गई।	गांवों का रास्ते का उपयोग कम से कम किया जाएगा। स्कूल लाइन में वाहनों का आवागमन नहीं होगा। गाड़ियों के लिए वैकल्पिक रास्ते का उपयोग किया जाएगा। साथ ही निजी जमीन का निबंधन कर रास्ता बनाया जाएगा।
4.	श्री श्रुति राजकुमार, ग्राम- बड़ा रामपुर, प्रखण्ड- चानन, लखीसराय के द्वारा इस योजना में स्थानीय रोजगार के अवसर पर जानकारी मांगी गई।	खनन के कार्य में गांव के आसपास के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें मजदूर, ढुलाई, चालक, रात्रि प्रहरी आदि शामिल होंगे।
5.	श्री वैद्यनाथ यादव, ग्राम- बड़ा रामपुर, प्रखण्ड- चानन, लखीसराय के द्वारा बालू खनन से जलस्तर में कमी हो रही है एवं बगीचा को नुकसान हो रहा है, की समस्या के लिए की जाने वाली व्यवस्था की जानकारी मांग की गई।	बालू खनन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि द्वारा 1 मीटर की गहराई तक की जाएगी। खनन का कार्य भूगर्भीय जल स्तर से नीचे नहीं किया जाएगा।
6.	श्री मोनू कुमार, ग्राम- बड़ा रामपुर, प्रखण्ड- चानन, लखीसराय के द्वारा सुझाव दिया गया कि युवाओं के लिए खेलने तथा Open Gym की व्यवस्था की जाए।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कॉरपोरेट दायित्व के तहत ग्रामीणों के सुझाए गए जमीन पर Open Gym की व्यवस्था की जाएगी।
7.	श्री पंकज कुमार, पिता- श्री राम सागर, प्रखण्ड- चानन, लखीसराय के द्वारा पूछा गया कि बगीचा की सिंचाई की लिए बोरिंग की व्यवस्था कराई जाए।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कॉरपोरेट दायित्व के तहत सिंचाई के लिए ट्यूब वेल की व्यवस्था की जाएगी।
8.	श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम- बड़ा, प्रखण्ड- चानन, लखीसराय के द्वारा अनुरोध किया	इसके जवाब में खनन पदाधिकारी के द्वारा सूचित किया गया कि अवैध खनन को रोकने


M

6

<p>गया किया खनन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए जिससे अवैध खनन की रोकथाम होगी।</p>	<p>के लिए नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पड़ोसी जिला-जमुई से सामंजस्य बनाकर इस अवैध खनन को रोकने की कार्रवाई की जा रही है।</p>
--	---

लोक-सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्याधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रण हेतु वर्णित उपायों के अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा।

लोक-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्येक बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक-सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।



क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०प०र्षद,
बेगूसराय।



अपर समाहर्ता
लखीसराय।

सुनवाई की जा रही है
लखीसराय

उपस्थिति सूची

सर्वश्री संजय कुमार, नया बाजार, जिला- लखीसराय के द्वारा लखीसराय जिला के अन्तर्गत किउल नदी स्थित मौजा- नोनगढ़, रेत ब्लॉक संख्या- 09 (कुल क्षेत्रफल- 12.7 हेक्टेयर), प्रखंड+थाना- चानन, जिला- लखीसराय में प्रस्तावित बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व ई-किसान भवन, चानन ब्लॉक परिसर, जिला- लखीसराय के प्रांगण में दिनांक 24.05.2023 (बुधवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोजित लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों एवं पदाधिकारीगण की स्व:हस्ताक्षरित उपस्थिति-

क्र०सं०	नाम/पदनाम	पता	हस्ताक्षर
1	सुधांशु शर्मा ADM, Laluhani	अपराजितादेवी एवं अणु जिला इन्साफ़ेरी, लखीसराय ।	 24/05/23
2	रघुवीर कुमार (MDO, Laluhani)	रविन्द्र विकास परा, लखीसराय	 24/05/2023
3	श्री एस.पी. राम अंत्राल पदाधिकारी	लिट्टा राज्य प्रसाद सिप्राण पर्व, लखीसराय	
4	चौहान कुमार	७३१ रामपुर	चौहान कुमार
5	राकेश कुमार	वट्टा रामपुर	Rakesh Kumar
6	Grubhan Kumar	Baht Ram Pur	
7	मनीष कुमार	Baht Ram Pur	मनीष कुमार
8	नीरज कुमार	वट्टा रामपुर	नीरज कुमार
9	पवन कुमार	नोनगढ़ वट्टा	पवन कुमार
10	श्रीराम सिंह	नोनगढ़ वट्टा	
11	शमशु विह	नोनगढ़ वट्टा	
12	अमित कुमार	नोनगढ़ वट्टा	Amit Kumar
13	कामोती लाली		कामोती लाली

14	सीमा कुमारी	मौनगढ़ वडा	सीमा कुमारी
15	रविन्द्र कुमार	"	रविन्द्र कुमार
16	उरवण सिंह	"	उरवण सिंह
17	राजा जी शर्मा	"	राजा जी शर्मा
18	गुलशन कुमार	"	(G. S. K.)
19	Rayendra Thakur	"	Rayendra Thakur
20	प्रमोद पासवान	"	प्रमोद पासवान
21	दीपक भादव	"	
22	भूषण सिंह	"	भूषण सिंह
23	मनीष साव		मनीष साव
24	शुवास सिंह		शुवास सिंह
25	सुनील रावत		सुनील रावत
26	रवींद्र भादव	"	रवींद्र भादव
27	Han Singh	"	Han Singh
28	जगदीश पासवान	"	जगदीश पासवान
29	अशोक शर्मा	"	अशोक शर्मा
30	पंकज कुमार	"	पंकज कुमार
31	दीपक शर्मा महारा		दीपक शर्मा महारा

32	मनोज सिह	गानगाढ़ वडा	मनोज सिह
33	Rohit kumar	11	Rohit kumar
34	Golu kumar	1	Golu kumar
35	Monty kumar		Monty kumar
36	monu kumar	4	monu kumar
37	वैजनाथ चाट्ट	11	वैजनाथ चाट्ट
38	Dinesh kumar	11	Dinesh kumar
39	शशि राज ठापर	11	Shashi Raj
40	नगीना चाट्ट	11	नगीना चाट्ट
41	पुनोद कुमार सिंह	11	पुनोद कुमार सिंह
42	निरंजन कुमार	11	निरंजन कुमार
43	राजेश कुमार	11	राजेश कुमार
44	मुकेश कुमार	11	मुकेश कुमार
45	वीरेंद्र कुमार	गानगाढ़	वीरेंद्र सिंह
46	राज नारायण सिंह	गानगाढ़	राज सिंह
47	मुकुल कुमार	रामपुर	मुकुल कुमार
48	मिन्डु कुमार	11	मिन्डु कुमार
49	अविनाश कुमार	गानगाढ़ वडा	

50	शिवशंकर सिंह	गोरखपुर	शिवशंकर सिंह
51	Anil Kumar	11	Anil Kumar
52	सोहन सिंह	शिवपुर	सोहन सिंह
53	शिवशंकर सिंह	बदायूं	शिवशंकर सिंह
54	Manu Singh	बदायूं	Manu Singh
55	Prakash	बदायूं	Prakash
56	हरिहर सिंह		हरिहर सिंह
57	Chaitanya Kumar	Badaun	Chaitanya Kumar
58	पुष्प सिंह	Badaun	पुष्प सिंह
59	Ram Chandra	Badaun	Ram Chandra
60	राजेश सिंह	शिवपुर	राजेश सिंह
61	Rakesh Kumar	Badaun	Rakesh Kumar
62	विजय	शिवपुर	विजय
63	पुष्पा देवी	11	पुष्पा देवी
64	शर्मिष्ठा सिंह	11	शर्मिष्ठा सिंह
65	शिवशंकर सिंह	11	शिवशंकर सिंह
66	Sastry	11	Sastry
67			

68	रामप्रवेश साव	रामपुर	
69	रामविलास साव	" "	
70	बेनी देवी	रामपुर	
71	रामदेवी देवी		
72	जरीया देवी	" "	
73	कविता देवी	" "	
74	राजा कुमार	रामपुर	राजा कुमार
75	विश्वाम कुमार	बहा	mkhukumar
76	अशोक मांजी	रामपुर	अशोक मांजी
77	अमन कुमार सिंह	बहा	Amant Kumar
78	रामबहादुर सिंह	बहा	रामबहादुर सिंह
79	अमिता साव	रामपुर	अमिता साव
80	डा. प्रवेश सिंह	बहा	डा. प्रवेश सिंह
81	रामा देवी	रामपुर	रामा देवी
82	मनोज मंडल	रामपुर	मनोज मंडल
83	रिंकु साव	" "	रिंकु साव
84	पिंकु मांजी	" "	पिंकु मांजी
85	वैचन मांजी	" "	